

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

.....बनाम.....
कावू **अनिल**
 प्रकरण सं.....**1/116/2024**..... तारीख रजू.....**15/11/2024**.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
<u>02.2.2024</u>	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली दिवसविधि से तलबी में है। वादीजण को अनेक अवसर अवसर के प्रथम क्रिये गये हैं कि पत्रावली तलबी में है। तलबी प्रस्तुत क्रिये जाये परन्तु प्रेश तलबी प्रस्तुत नहीं क्रिये गये हैं। पत्रावली की अदेशिका से स्पष्ट है कि जिला 13.1.2024 को पुनः तलबी हेतु लिखा गया था इसके उपरोक्त वादीजण के निवेदन पर तलबी प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर के रूप में अनेक अवसर प्रदान क्रिये गये हैं। परन्तु तलबी प्रस्तुत नहीं क्रिये गये हैं।</p> <p>निविल प्रक्रिया संदिता के आदेश 9 नियम 5 के अन्तर्गत में वाद को खारिज क्रिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह वाद वि. प्रो. सं. के आदेश 9 नियम 05 के अन्तर्गत में खारिज क्रिया जाता है। वाद सम्बन्धित तलबी पत्रावली दायित्व दफ्तर है।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०